# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

GCMS No. 2022/72 (Bank Case)
Manual no- 45/2022

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय महावीर नगर, कोटा राजस्थान–324005
– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

**बनाम**

1. श्री रामगोपाल अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री लड्डूलाल अग्रवाल (ऋणी/अप्रार्थीगण)
   पता– इन्द्रा गांधी नगर, डीसीएम, कोटा (राज.)
2. श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री लड्डूलाल अग्रवाल (सहऋणी)
   पता– इन्द्रा गांधी नगर, डीसीएम, कोटा (राज.)
3. श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल (सहऋणी)
   पता– इन्द्रा गांधी नगर, डीसीएम, कोटा (राज.)
4. श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल पत्नी श्री राम गोपाल अग्रवाल (सहऋणी)
   पता– इन्द्रा गांधी नगर, डीसीएम, कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण/ऋणी

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांकः 25-04-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय महावीर नगर, कोटा राजस्थान से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तिय संस्था से आवासीय/टर्म लोन दिनांक 14.11.2014 को 75,00,000/– लाख (अक्षरेः रूपये पिचहत्तर लाख मात्र।) एवं दिनांक 07.09.2015 को आवासीय ऋण एएए खाते में 86,00,000/– लाख (अक्षरेः रूपये छियासी लाख मात्र।) कुल ऋण 161/– लाख (अक्षरेः रूपये एक करोड इकषठ लाख मात्र ।) लिया था। अप्रार्थी ऋणीं द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री रामगोपाल वर्मा पुत्र श्री स्व0 लड्डूलाल की आवसीय सम्पत्ति मकान नं. 116–बी, तलवण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है। (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट) सीमाएं– पूर्व में– 115–बी, पश्चिम में– 117–बी, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– 113–बी** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 06.09.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे आवासीय/टर्म लोन 67,70,422/– (अक्षरे रूपये षडषठ लाख सत्तर हजार चार सौ बाईस मात्र) एवं आवासीय ऋण एएए खाते में 8187376.76/–(अक्षरे रूपये इक्यासी लाख सत्यासी हजार तीन सौ छियत्तर व छियत्तर पैसे मात्र) इस प्रकार कुल बकाया रकम 1,49,57,798.76/–(अक्षरे रूपये एक करोड, उनचास लाख सत्तावन हजार सात सौ अठानवें व छियत्तर पैसे मात्र) दिनांक 01.09.2021 तक शेष देय है व आगे

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री रामगोपाल वर्मा पुत्र श्री स्व0 लड्डूलाल की आवसीय सम्पत्ति मकान नं. 116–बी, तलवण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है। (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 3000 वर्गफुट) सीमाएं– पूर्व में– 115–बी, पश्चिम में– 117–बी, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– 113–बी** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)